न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 15/2020 (RCMS : 2020/ 00054) अनवान 1. सुभाष पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी 4 केआरडब्लयू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **बनाम 1. संदीप कुमार 2. सुरेश कुमार** पिसरान कुन्दनलाल जाति कम्बोज निवासी नुरपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **3. अधिशाषी अभियंता,** सिंचाई विभाग, खण्ड प्रथम, हनुमानगढ **4. सहायक अभियन्ता,** सिंचाई विभाग, सादुलशहर **5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सादुलशहर 6. उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.08.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता श्री पी पी मक्कड़ भी उपस्थित है। दोनों पक्षों को सुना गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 14/2020 अनुवानी संदीप कुमार बनाम अधिशाषी अभियंता में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसे खारिज किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि यदि इस मुंतकिल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के स्थानान्तरण होने के कारण खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:53 IST
Reason: SelfAttested

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 14/2020 अनुवानी संदीप कुमार बनाम अधिशाषी अभियंता में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। इसलिए इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:53 IST
Reason: SelfAttested